उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 21/2017/71/92-2-17-104जॉच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 12 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

बार्डर एरिया डेवलेपमेंट योजनान्तगर्त जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैंसाही नाले पर निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया एंव शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास निर्मित पुलिया के निर्माण में गम्भीर अनियमितता बरतने तथा शासकीय क्षति पहुचाये जाने आदि अनियमितताओं के संबंध में शासन के पत्र संख्या-1867/92-1-16-104जांच/2013 दिनांक 23-04-2015 द्वारा श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम'-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया।

2- उक्त के क्रम में श्री एम0के0 श्रीवास्तव का बचाव उत्तर उनके पत्र संख्या-1100/ग्रा0अ0वि0/जांच-श्रावस्ती/2015-16 दिनांक 19-03-2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। शासन में उपलब्ध संगत अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति-कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पर्यवेक्षणीय दायित्वों का समुचित ढंग से निर्वहन न किये जाने हेतु श्री एम0के0 श्रीवास्तव को निम्नवत **"परिनिन्दित"** करते हुए कारण बताओ नोटिस को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"बार्डर एरिया डेवलपमेनट योजनान्तर्गत जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैंसाही नाले पर निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया एंव शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास निर्मित पुलिया के निर्माण में अनियमितताओं के फलस्वरूप रू0 93.07 लाख एंव रू0 18,78,901.00 की धनराशि की प्राक्कलन गठन एंव तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति- कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को वर्ष 2016-17 के लिये परिनिन्दित किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 21/2017/71/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति- कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।